

पत्रांक-श्रम क० सं०-31/2018-436

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित) से दुर्घटना मृत्यु में मृत 02 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 200000/- (दो लाख रूपए), 03 आंशिक निःशक्तता के मामले में प्रति कामगार की दर से ₹ 112500/- (एक लाख बारह हजार पाँच सौ रूपए) एवं 01 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 342500/- (तीन लाख बेयालीस हजार पाँच सौ रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, पिता/पति का नाम, उम्र, कोटि	आश्रित का नाम( संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ. ए. सी.	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० ब्यास महतो, स्व० गणेश महतो, पि० वर्ग	श्रीमती यशोदा देवी(पत्नी)	260/21.5. 2018	ग्रा०-दधपा दखिनवारी विगहा, पो०-अम्बा, था०+प्र०-कुटुम्बा, औरंगाबाद	098200010 0816823	PNB, Amba, PUNB0098 200	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० रामजन्म चौधरी, 45, स्व० बिदेशी चौधरी, अनु० जाति	श्रीमती बिन्दा देवी(पत्नी)	25/10.01. 2019	ग्रा०-चौथईया टोला बसत, पो०-शिमला, था०-सलैया, प्र०-मदनपुर, औरंगाबाद	711101000 79377	MBGB, khiriawan, PUNB0MBGB 06	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राज मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० इन्द्रजीत पासवान, 27, श्री रामजतन पासवान, अनु० जाति	श्रीमती बिन्दु देवी(पत्नी)	26/10.01. 2019	ग्रा०-इंगलिश, पो०-नौगढ़, था०+प्र+जि०-औरंगाबाद	307744359 60	SBI, Poiwan, SBIN0007975	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
4	श्री जनेश्वर यादव, 60, श्री सहगु यादव, पि० वर्ग	स्वयं	42/12.01. 2019	ग्रा०-दुधैला, पो०-सुन्दरगंज, था०-रिसियप, प्र०-वारुण, औरंगाबाद	094900170 0092658	PNB, Risiup, PUNB009490 0	₹ 37500/- (सैंतीस हजार पाँच सौ रूपए)	आंशिक निःशक्तता, खेतिहर मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
5	श्री मुन्द्रिका सिंह, 60, स्व० कईल सिंह, पि० वर्ग	स्वयं	43/12.01. 2019	ग्रा०-छक्कन विगहा, पो०+था०+प्र०-वारुण, औरंगाबाद	709201000 53630	MBGB, Barun, PUNB0MBGB 06	₹ 37500/- (सैंतीस हजार पाँच सौ रूपए)	आंशिक निःशक्तता, पलदार व्यवसाय में कामगार मजदूर
6	श्री राजेश्वर पासवान, 24, श्री राजेन्द्र पासवान, अनु० जाति	स्वयं	44/12.01. 2019	ग्रा०-मोखारपुर, पो०-राजपुर, था०-रिसियप, प्र०-वारुण, औरंगाबाद	000134001 103427	Co-opperatvie Bank, Aurangabad, IBKL01192AC	₹ 37500/- (सैंतीस हजार पाँच सौ रूपए)	आंशिक निःशक्तता, खेतिहर मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 342500/-

(तीन लाख बेयालीस हजार पाँच सौ रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-31/2018 के पृष्ठ-14/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राम रूप प्रसाद)  
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-31/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राम रूप प्रसाद)


कार्यकारी निदेशक।


ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-31/2018-436

पटना, दिनांक :- 04-12-19

सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 342500/- (तीन लाख बेयालीस हजार पाँच सौ रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ प्रेषित/आईटी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(डा० गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

  
(राम रूप प्रसाद)  
कार्यकारी निदेशक।